कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

E-mail-dcourtdam-mp@nic.in *Contact no. 07812-292456

—:: आदेश::—

क्रमांक—387 /तीन—13—2/1987 दमोह, दिनांक 16 सितम्बर, 2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक सी/2973 जबलपुर दिनांक 22.04.2025 के साथ संलग्न मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ—4—1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.04.2025 के अनुसार राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूलवेतन को आधार पर गृहभाडा भत्ता की पात्रता का निर्धारण किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील है, जिसके अनुसार 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवकों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूलवेतन का 05 प्रतिशत गृहभाडा भत्ता प्रदान किया जाना है, जिला मुख्यालय दमोह एवं **तहसील मुख्यालय हटा, पथरिया** एवं तेन्दूखेडा की नगरीय जनसंख्या 03 लाख से कम होने के कारण जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में कार्यरत कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित शासकीय सेवकों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार कॉलम क्रमांक 5 उल्लेखित देय मूलवेतन का **05 प्रतिशत गृहभाडा भत्ता** की दर से, कॉलम क्रमांक 06 में दर्शित राशि एवं अंकित देय दिनांक से गृहभाडा भत्ता निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :—

क.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	आवेदन प्रस्तुत दिनांक	आवास का प्रकार	मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ—4—1/2025/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.04.2025	**प्रतिमाह स्वीकृत मकान किराया भत्ता**	**देय दिनांक**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**श्री नरेन्द्र श्रीवात्री,** सहायक ग्रेड—3	13.08.2025	**फार्म—ए** (किराये का आवास)	24000/— 24000X5% = 1200/-	**1200/—**	**13.08.2025**
2	**श्री धर्मेश चौरहा,** सहायक ग्रेड—3	25.08.2025	**फार्म—बी** (पैतृक आवास)	24000/— 24000X5% = 1200/-	**1200/—**	**25.08.2025**
3	**श्री वीरेन्द्र शर्मा,** सहायक ग्रेड—3	06.08.2025	**फार्म—ए** (किराये का आवास)	29400/— 29400X5% = 1470/-	**1470/—**	**06.08.2025**
4	**श्री नरेन्द्र घारू,** आदेशिका वाहक	08.08.2025	**फार्म—ए** (किराये का आवास)	29700/— 29700X5% = 1485/-	**1485/—**	**08.08.2025**

-Sd-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म0प्र0

पृष्ठां0 क्रमांक—3292/तीन—13—2/1987 दमोह, दिनांक 17 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि—

1. जिला कोषालय अधिकारी, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कर्मचारी..... की ओर ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ
3. लेखापाल/वेतनलिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17.09.25

कृते— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म0प्र0